



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मध्यमा परीक्षा 2019 एवं मदरसा (वस्तानियाँ से फाजिल) परीक्षा, 2019 के प्रमाण पत्रों में त्रुटि निराकरण के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 70/2019

एतद् द्वारा मध्यमा परीक्षा, 2019 एवं मदरसा (वस्तानियाँ से फाजिल) परीक्षा, 2019 के सभी संबंधित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों, संस्कृत विद्यालय प्रधानों एवं मदरसा के प्रधान मौलवी को सूचित किया जाता है कि:-

- (1) मध्यमा एवं मदरसा परीक्षा 2019 के जिन छात्र/छात्राओं के अंक पत्रक आदि में नाम, माता/पिता नाम, जन्म तिथि, पंजीयन संख्या, आदि में त्रुटि हो, वैसे छात्र/छात्रा अपना आवेदन (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति) दिनांक 13.12.2019 तक संबंधित संस्कृत विद्यालय/मदरसा में जमा करेंगे। संबंधित संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा प्रधान सभी आवेदनों को, समुचित साक्ष्य (नियमित छात्र/छात्राओं के लिए नामांकन पंजी की छायाप्रति, जिला शिक्षा पदाधिकारी से अभिप्रमाणित तथा स्वतंत्र छात्र/छात्राओं के लिए पंजीयन के समय छात्र/छात्रा द्वारा समर्पित शपथ-पत्र की सत्यापित छायाप्रति) के साथ सूचिबद्ध कर अग्रसारित करते हुए परिषद् कार्यालय में दिनांक 17.12.2019 तक अवश्य जमा करेंगे। इस तिथि के पश्चात् संशोधन शुल्क 400/- (चार सौ रुपये) के साथ स्वीकार किये जायेंगे।
- (2) अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित संस्कृत विद्यालय/मदरसा के प्रधान द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र) की छाया प्रति के साथ निःशुल्क परिषद् कार्यालय में **दिनांक 17.12.2019** तक किसी भी कार्यदिवस में जमा कर सकते हैं। इसके बाद किसी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन संबंधी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (3) साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि मध्यमा एवं मदरसा परीक्षा 2019 के जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्रप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्कूटनी के लिए संस्कृत विद्यालय एवं मदरसा प्रधान के द्वारा इस आशय का प्रमाणक के साथ कि **“वे संतुष्ट हैं कि स्कूटनी के लिए मजबूत एवं समुचित आधार है”** अपना आवेदन पत्र अंक पत्र की छाया प्रति के साथ अग्रसारित कराकर **दिनांक 17.12.2019** तक परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं प्रमण्डलीय कार्यालय, पलामू में जमा करेंगे।

प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क 300/- (तीन सौ रुपये) होगा। अधिकतम तीन विषयों का पुनरीक्षण अनुमान्य है। शुल्क की राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट **“JAC FUND”** के नाम देय एवं राँची में भुगतये, संचाल परगना प्रमण्डल के लिए **“JAC FUND”** के नाम देय एवं दुमका में भुगतये तथा पलामू प्रमण्डल के लिए **“JAC FUND”** के नाम से देय एवं डाल्टेनगंज में भुगतये होगा। आवेदन के साथ अंक पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- (महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मदरसा/10660/11/SECY/504/19

Dt. 22.11.2019

D.O.P. 23.11.2019